

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3117-तीन/2013

जिला-शिवपुरी

गजराज आदि विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के प्र. क्र. 6/2007-08/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-07-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-06-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) 5/19 सदस्य</p>

11



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- 1/2013/निगरानी — R-3117-31/13

एस.एल. चालुस आ.द.

मध्य प्रदेश दि. 14/8/13 को

प्रस्तुत

14-8-13  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. गजराज सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, उम्र-37 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
  2. राजेन्द्र पुत्र श्री खचेरी, उम्र-38 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
  3. विजय पुत्र श्री खरगा, उम्र-45 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
  4. बनवारी पुत्र श्री कन्नू, उम्र-50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
  5. कल्याण पुत्र श्री भाग सिंह, उम्र-47 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
- समस्त निवासीगण-ग्राम दुल्हारा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.07.2013 पारित न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक-6/07-08/स्वनिगरानी

3